[2019] 10 एस. सी. आर. 143

आंध्र प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस.

वी.

बी. रंगा रेड्डी (डी) एलआर और ओआरएस द्वारा।

(2017 की सिविल अपील संख्या 17486)

अगस्त 09,2019

[एल. नागेश्वर राव और हेमंत गुप्ता, जे. जे.]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-एसएस। 11 , 96 और या। एक्सएलआई, आर. 22, Or.XLI, आर. 33-प्रतिवादियों के खिलाफ तीन अलग-अलग मुकदमे दायर किए गए थे।

राज्य सहित-पहला और दूसरा मुकदमा खैरताबाद गाँव के 2013 के सर्वेक्षण संख्या 9 में आने वाली भूमि के संबंध में था-तीसरा मुकदमा सर्वेक्षण संख्या 1 में आने वाली भूमि के संबंध में था और रसूलपुरा गाँव में 50-राज्य ने इस आधार पर विरोध किया कि तीनों मुकदमों में भूमि गाँव भोलकपुर के सर्वेक्षण संख्या 2 में आती है, जो कि एक

सरकारी शिककम तालाब-सभी मुकदमों का एक साथ परीक्षण किया गया-पहले दो मुकदमों को खारिज कर दिया गया, हालांकि, राज्य के खिलाफ तीसरा मुकदमा घोषित किया गया-राज्य ने तीसरे मुकदमे में डिक्री के खिलाफ अपील दायर की, जिस पर इस आधार पर आपत्ति जताई गई कि अंक संख्या 1 पर दर्ज निष्कर्ष पहले और दूसरे मुकदमे को डिक्री के रूप में माना जाना चाहिए और यह न्यायिक निर्णय के रूप में काम करेगा-उच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी माना कि क्रॉस-आपत्तियां दायर किए बिना, सरकार। निचली अदालत के निष्कर्षों को चुनौती नहीं दे सकते-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गया: वर्तमान एक ऐसा मामला है जहां डिक्री मुकदमे को खारिज करने की है, इसलिए पूरी तरह से राज्य के पक्ष में है और पहले और दूसरे मुकदमे को खारिज करने की निष्पादन योग्य डिक्री नहीं है

अंतिमता प्राप्त नहीं की गई है और वादी और प्रतिवादियों द्वारा चुनौती दी जा रही है-राज्य मुद्दे संख्या 1 पर विवाद निष्कर्षों के हकदार हैं-मुद्दे संख्या 1 पर तथ्य के निष्कर्षों सहित सभी मुद्दे प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष विचार के लिए खुले हैं-प्रतिवादी यू/ओआर में क्रॉस-ऑब्जेक्शन दाखिल करके ऐसे निष्कर्षों पर विवाद करने का अधिकार है। एक्सएलआई, आर। 22 , जैसा कि वर्ष 1976 में संशोधित किया गया था या यहां तक कि अपीलीय न्यायालय को दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए। एक्सएलआई, आर। 33 -

इसके अलावा, धारा 11 और स्पष्टीकरण I उन्हीं पक्षों के बीच या उन पक्षों के बीच बाद की कार्यवाही में लागू होगा जिनके तहत उन्होंने या उनमें से किसी ने एक ही शीर्षक के तहत दावा किया था-लेकिन पहले और दूसरे मुकदमे में निष्कर्ष न्यायिक आधार पर काम नहीं करेंगे क्योंकि ऐसे निष्कर्ष वादी द्वारा अपने-अपने मुकदमों में दायर अपीलों में चुनौती का विषय हैं-उच्च न्यायालय निर्णय लेने में विफल रहा

[2019] 10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

डिक्री और किसी मुद्दे पर निष्कर्ष के बीच का अंतर-यह वह डिक्री है जिसके खिलाफ एस के संदर्भ में अपील की जाती है। 96 - प्रतिवादी राज्य एक डिक्री के खिलाफ अपील दायर नहीं कर सकता था जो सूट सिम्प्लिसिटर को खारिज करने का था-उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार कर दिया गया। शब्द और अभिव्यक्तियाँ "डिक्री", "निर्णय"-जिसका अर्थ है-चर्चा की गई-सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-एस. एस. 2 (2) , 2 (9) .

वाद-प्रतिवादियों की याचिका का समेकन

मुकदमों के समेकन के आदेश और उस आदेश के बीच अंतर जहां विभिन्न मुकदमों में सामान्य निर्णय दिया जाता है-आयोजितः कानून में मान्य नहीं है।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष स्पष्ट रूप से गलत हैं। वर्तमान एक ऐसा मामला है जहां डिक्री मुकदमे को खारिज करने की है, इसलिए पूरी तरह से राज्य के पक्ष में है और निष्पादन योग्य नहीं है। [पारस 12,19] [156-एच; 160-डी]

1.2 1983 के दीवानी मुक़दमा संख्या 274 या 1983 के 276 (पहला मुक़दमा और दूसरा मुक़दमा) में डिक्री ने अंतिमता प्राप्त नहीं की है और वे अभी भी प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील के विषय हैं जिसमें, निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को मुक़दमे को खारिज करने की अंतिम डिक्री को बनाए रखते हुए दरकिनार किया जा सकता है। पहले और दूसरे मुकदमे को खारिज करने की डिक्री को अंतिम रूप नहीं दिया गया है जिसे वादी और प्रतिवादियों द्वारा चुनौती दी जा रही है-राज्य प्रति आपत्ति दर्ज किए बिना या आदेश XLI के संदर्भ में भी मुद्दा संख्या 1 पर विवाद निष्कर्षों के हकदार हैं।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के नियम 33 में कहा गया है कि विद्वत विचारण न्यायालय के वजन के अलावा अन्य आधारों पर वाद को खारिज करने की डिक्री। सभी मुद्दे प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष विचार के लिए खुले हैं। [पारस 26,31] [166-एफ-जी; 169-ई-एफ] 1.3 संहिता की धारा 11 और स्पष्टीकरण 1 उन्हीं पक्षों के बीच या उन पक्षों के बीच बाद की कार्यवाही में लागू होगी जिनके तहत उन्होंने या उनमें से किसी ने एक ही शीर्षक के तहत दावा किया था। लेकिन पहले और दूसरे मुकदमे के निष्कर्ष न्यायिक आधार पर काम नहीं करेंगे क्योंकि इस तरह के निष्कर्ष वादी द्वारा अपने-अपने मुकदमों में दायर अपीलों में चुनौती का विषय हैं। तीनों सूट एक साथ तय किए गए हैं और आंध्र प्रदेश और ओआरएस का राज्य।

वी. बी. रंगा रेड्डी (डी) एलआर और ओआरएस द्वारा।

ऐसे निर्णय और फरमानों के खिलाफ तीन अपीलें लंबित हैं। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि पहला और दूसरा मुकदमा पूर्व के मुकदमे हैं क्योंकि उसमें पारित डिक्री को अंतिम रूप नहीं मिला है। अतः उसमें अभिलिखित निष्कर्ष न्यायिक आधार पर कार्य नहीं करेंगे क्योंकि राज्य संहिता के आदेश XLI नियम 22 के संशोधन के बाद भी पहले और दूसरे मुकदमे में मुद्दा संख्या 1 पर निष्कर्षों को चुनौती देने के लिए बाध्य नहीं है। उच्च न्यायालय किसी मुद्दे पर आदेश और निष्कर्ष के बीच अंतर करने में विफल रहा है। यह वह डिक्री है जिसके खिलाफ धारा के संदर्भ में अपील की जाती है।

96 कोड से। संहिता की धारा 2 (2) के संदर्भ में डिक्री का अर्थ है निर्णायक रूप से निर्धारित करने वाले निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति।

पक्षों के अधिकार। प्रतिवादी-राज्य एक डिक्री के खिलाफ अपील दायर नहीं कर सकता था जो एक सूट सिम्प्लिसिटर को खारिज करने का था। राज्य के खिलाफ निर्गम संख्या 1 पर निष्कर्षों को संहिता के आदेश संख्या एक्स. एल. आई., नियम 22 के संशोधित प्रावधानों के संदर्भ में क्रॉस-आपत्तियों के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है, लेकिन इस तरह की क्रॉस-आपत्तियों को दायर करना अंक संख्या 1 पर दर्ज निष्कर्षों पर विवाद करने के लिए आवश्यक नहीं है। क्योंकि प्रतिवादियों को मुकदमे को खारिज करने के लिए निचली अदालत द्वारा पारित अंतिम डिक्री का समर्थन करने का अधिकार है, इसके अलावा अन्य आधारों पर जो विद्वत निचली अदालत के साथ वजन करते हैं। यहां तक कि संहिता के आदेश XLI नियम 33 के संदर्भ में, अपीलीय न्यायालय के पास कोई भी आदेश पारित करने का अधिकार क्षेत्र है जो उसके समक्ष कार्यवाही में पारित या किया जाना चाहिए था। अभिलेख पर तथ्यों के अनुसार, मूल सूट संख्या। 274 1983 और 1983 के 276 को खारिज कर दिया गया है। वादी प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष दोनों मुकदमों में अपील कर रहे हैं। इसलिए, अंक संख्या 1 पर निष्कर्ष सहित इस तरह की डिक्री को अंतिम रूप नहीं मिला है क्योंकि अपीलीय न्यायालय अंक संख्या 1 पर तथ्य के निष्कर्षों सहित पूरे विवाद से अवगत है। प्रतिवादियों को दायर करके ऐसे निष्कर्षों पर विवाद करने का अधिकार है

संहिता के आदेश XLI, नियम 22 के तहत क्रॉस-आपत्तियां वर्ष 1976 में संशोधित या यहां तक कि आदेश XLI नियम 33 के तहत अपीलीय न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

कोड। [पैरा 32,36 और 37] [169-जी-एच; 170-ए-बी; 173-सी-एफ]

1.4 डिक्री मुकदमे को खारिज करने की है, जबकि,

इस तरह की डिक्री पारित करने के कारण संहिता की धारा 2 (9) में परिभाषित निर्णय हैं। स्पष्टीकरण I के साथ पठित धारा 11 के संदर्भ में, पूर्व वाद में मुद्दा केवल तभी न्यायिक आधार के रूप में काम करेगा जब ऐसा मुद्दा बाद के वाद में उठाया जाता है। चूंकि, शीर्षक के मुद्दे में [2019] 10 एस है।

अंतिम रूप से प्राप्त नहीं किया गया है, इसलिए, यह एक पूर्व मुकदमा नहीं है कि धारा 11 का कोई अनुप्रयोग हो सकता है। राज्य द्वारा दायर पहली अपील में उच्च न्यायालय के आदेश को अंक संख्या पर निष्कर्ष के रूप में निर्धारित किया गया है। 1 और पहले और दूसरे में 2 रेस जुडिकाटा के रूप में काम नहीं करते हैं। [पारस 38,39] [173-(174-ए-बी]

रमेश चंद्र बनाम। शिव चरण दास ए. आई. आर. 1991 एस. सी. 264 [1990] पूरक। एससीआर 97; एस. नजीर अहमद बनाम। स्टेट बैंक ऑफ मैसूर एंड ओआरएस। (2007) 11 एससीसी 75: [2007]

1 एस. सी. आर. 843-निर्भर।

बद्री नारायण सिंह बनाम। कामदेव प्रसाद सिंह और अन्र। [1962] 3 एससीआर 759; अशोक नगर वेलफेयर एसोसिएशन और एएनआर। वी. आर. के. शर्मा और अन्य। (2002) 1 एससीसी 749:

वी. अर्चना कुमार एंड अदर (2005) 1 एस. सी. सी. 787 : [2004] 6 पूरक। एस. सी. आर. 1104-लागू नहीं होता है।

नरहरि और ओआरएस। वी. शंकर और ओआरएस। ए. आई. आर. 1953 एससी

419 [1950] एससीआर 754; गंगा बाई बनाम। विजय कुमार और अन्य। (1974) 2 एससीसी 393 [1974] 3 एससीआर 882; बनारसी और अन्य। वी. राम फाल (2003) 9 एससीसी 606: [2003] 2 एस. सी. आर. 22; हरदेविंदर सिंह बनाम। परमजीत सिंह और अन्य। (2013) 9 एस. सी. सी. 261 [2013] 1 एस. सी. आर. 903; श्री गंगई विनयगर मंदिर और अन्र। वी. मीनाक्षी अम्मल और अन्य। (2015) 3 एस. सी. सी. 624: [2014] 12 एस. सी. आर. 845; चिटिविलासा जूट मिल्स बनाम। जेपी रीवा सीमेंट (2004) 3 एस. सी. सी. 85; शिवदान सिंह बनाम। दरियाव कुंवर (श्रीमती) [1966] 3 एस. सी. आर. 300;

लोननकुट्टी बनाम। थॉममैन और एनर। (1976) 3 एससीसी

528 [976] पूरक। एस. सी. आर. 74; प्रीमियर टायर्स लिमिटेड बनाम। केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (1993) सप. (2) एस. सी. सी. 146; हरबंस सिंह और अन्य। वी. संत हरि सिंह और अन्य। (2009) 2 एससीसी 526: [2009] 1 एससीआर 250; निर्मला बाला घोष बनाम। बलाई चंद घोष [1965] 3 एस. सी. आर. 550; एल. आर. और अन्य द्वारा गोविंदम्मल (डी)। वी. वैद्यनाथन और

ओआरएस। (2018) 14 स्केल 198-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[1950] एससीआर 754

पै

रा 5

संदर्भित किया गया है

[1974] 3 एससीआर 882

संदर्भित किया गया है

पैरा 5 आंध्र प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. वी. बी. रंगा रेड्डी (डी) एलआर और ओआरएस द्वारा।

[2003] 2 एससीआर 22

संदर्भित किया गया है

पै

रा 5

[2013] 1 एससीआर 903

पै

रा 5

संदर्भित किया गया है

[2014] 12 एससीआर 845

संदर्भित किया गया है

पै

रा 5

(2004) 3 एससीसी 85

संदर्भित किया गया है

पै

रा 5

[1990] पूरक। एससीआर 97

उस पर भरोसा करें

पै

रा 5

[2007] 1 एससीआर 843

उस पर भरोसा करें

पै

रा 5

[1966] 3 एससीआर 300

पै

रा 6

संदर्भित किया गया है

[1976] पूरक। एससीआर 74

पै

रा 6

संदर्भित किया गया है

1993 सप. (2) एस. सी. सी. 146

पै

रा 6

संदर्भित किया गया है

[2009] 1 एससीआर 250

पै

रा 6

संदर्भित किया गया है

[2001] 5 पूरक। एससीआर 662

अप्रयोज्य रखा गया

पै

रा 6

[1965] 3 एससीआर 550

संदर्भित किया गया है

पै

रा 6

[2004] 6 पूरक। एससीआर 1104

अप्रयोज्य रखा गया

पै

रा 6

(2018) 14 स्केल 198

पै

रा 8

संदर्भित किया गया है

अप्रयोज्य रखा गया

[1962] 3 एससीआर 759

पै

रा 25

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 17486

2017 से।

उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित 01.10.2012 निर्णय और आदेश से

सिटी सिविल कोर्ट अपील में हैदराबाद में आंध्र प्रदेश की न्यायपालिका

नं. 194/1998।

के साथ

2013 की एसएलपी (सी) संख्या 8243 में अवमानना याचिका (सी) संख्या 204/2014। दुष्यंत ए. डेव, वी. गिरि, सी. एस. वैद्यनाथन, जय सावला, पी.

वेणुगोपाल, गोपाल शंकरनारायणन, वरिष्ठ अधिवक्ता।, सुश्री बीना माधवन, सुश्री आकांक्षा मेहरा, सुश्री एलिजाबेथ एंथनी, सुश्री स्वीना नायर, एम. पी. शोरावाला, पी. वेंकट रेड्डी, प्रशांत त्यागी, अनिरुद्ध गुप्ता, अक्षय मनोराजन, डॉ. राजा राम पुन्ना, सुश्री सुवेनी भगत, मैसर्स। वेंकट पलवाई लॉ एसोसिएट्स, जी. एन. रेड्डी, सुश्री रेणुका साहू, अनुराग, वेंकटेश्वर राव अनुमोलु, चंद्र मोहन अनिसेथी, के. के. मणि, बी. वी. एस. सीता [2019] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

रामाराजू, सुश्री वसुधा सिंह, मेसर्स। वकील एस निट एंड कंपनी, अन्नाम डी. एन. राव, सतीश गल्ला, एन. राजारमन, बी. श्रवण शंकर, सुश्री मोनालिसा कोसरिया, विशाल सिन्हा, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

हेमंत गुप्ता, जे।

1. वर्तमान अपीलों में चुनौती अक्टूबर में हैदराबाद में आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश को दी गई है।

01 , 2012 जिसके तहत अपीलकर्ताओं द्वारा दायर एक अपील को न्यायिक निर्णय के सिद्धांत से प्रभावित पाया गया और खारिज कर दिया गया।

2. वर्तमान अपीलों की ओर ले जाने वाले संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि राज्य सहित प्रतिवादियों के खिलाफ तीन अलग-अलग मुकदमे दायर किए गए थेः पहला, खैरताबाद गाँव के 2013 के सर्वेक्षण सं. 9 में शामिल 6.08 गुंटा भूमि के संबंध में 1983 का मूल वाद सं. 274; दूसरे मुक़दमे में 3 गुंटा भूमि के संबंध में 1983 का मूल मुक़दमा सं. 276 है जिसमें 2013 के खैरताबाद गाँव के सर्वेक्षण सं. 9 में शामिल है। और तीसरे मुकदमे में 1984 का मूल मुकदमा सं. 141 है जो भूमि मापन के संबंध में दायर किया गया है।

सर्वेक्षण सं. में आने वाली भूमि के संबंध में गुंटा। 49 और रसूलपुरा गाँव में 50। सभी मुकदमों में राज्य का रुख यह है कि तीनों मुकदमों में भूमि गाँव भोलकपुर के सर्वेक्षण संख्या 43 में आती है।

सरकारी शिकम तालाब 145 एकड़ 35 गुंटा, लोकप्रिय रूप से

हुसैन सागर तालाब के नाम से जाना जाता है। तीनों सूट एक साथ आज़माए गए थे। साक्षय 1983 के मूल मुकदमा संख्या 274 में दर्ज किया गया था। स्वामित्व के मुद्दों पर विद्वत निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए मुद्दे और निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

" मूल वाद सं। 274 1983-पहला मुकदमा

मुद्दे

1) क्या सूट संपत्ति सी. आई. का हिस्सा है। नं. 9/13 का

खैरताबाद गाँव जैसा कि वादी द्वारा दावा किया गया है या क्या यह सी का हिस्सा है। नं. 49 और रसूलपुरा गाँव का 50 जैसा कि प्रतिवादियों द्वारा दावा किया गया है 1 से 4 या क्या यह सी का हिस्सा है। भोलकपुर गाँव की संख्या 43, जैसा कि दावा किया गया है

सरकार?

ढूँढना

पैरा 40. वादी यह स्थापित करने में बुरी तरह विफल रहा कि वाद संपत्ति सी का हिस्सा है।

आंध्र प्रदेश और ओ. आर. एस. के खैरताबाद की संख्या 9/13। वी. बी. रंगा रेड्डी (डी) एलआर और ओआरएस द्वारा। [हेमंत गुप्ता, जे।]

गाँव। लेकिन प्रतिवादी 1 से 4 ने स्पष्ट रूप से स्थापित किया कि यह सी का हिस्सा है। नं. 49 और रसूलपुरा के 50। हालाँकि, सरकार यह भी स्थापित करने में विफल रही कि सूट भूमि है।

सी का हिस्सा है। भोलकपुर गाँव की संख्या 43।

क्या वादी अपने अधिकार की घोषणा का हकदार है

मुक़दमे की संपत्ति और क्या वह इसके लिए हकदार है

स्थायी निषेधाज्ञा या में परिणामी राहत

मुक़दमे की संपत्ति के कब्जे के लिए विकल्प?

ढूँढना

पैरा 41. वादी मुकदमे की संपत्ति में अपना अधिकार और अधिकार स्थापित करने में बुरी तरह विफल रहा और इस तरह, वह घोषणा या स्थायी निषेधाज्ञा की राहत का हकदार नहीं है। या अधिकार।

किस राहत के लिए?

ढूँढना

पैरा 44. नतीजतन, मुकदमा लागत के साथ खारिज कर दिया जाता है।

इजीनल सूट नं. 276 1983 का दूसरा मुकदमा

हैं।

क्या सूट संपत्ति एस. आई. का हिस्सा है। नं. 9/13 का

पैरा 45. 1983 के मूल मुक़दमा संख्या 274 में मुद्दा संख्या 1 और यह मुद्दा व्यावहारिक रूप से एक ही है और इस तरह 1983 के मूल मुक़दमा संख्या 274 में मुद्दा संख्या 1 पर निष्कर्ष मानता है। इस मुद्दे के लिए भी अच्छा है।

क्या वादी अपने अधिकार की घोषणा का हकदार है

मुक़दमा संपत्ति और क्या वह इसके लिए हकदार है

स्थायी निषेधाज्ञा या में परिणामी राहत

मुक़दमे की संपत्ति के कब्जे के लिए विकल्प?

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ढूँढना

ढूँढना पैरा 49. नतीजतन, मुकदमा लागत के साथ खारिज कर दिया जाता है।

इजीनल सूट नं. 141 1984 का तीसरा सूट

हैं।

क्या सूट संपत्ति एस. आई. का हिस्सा है। नं. 49 और रसूलपुरा गाँव के 50, जैसा कि वादी द्वारा दावा किया गया है या क्या

सी का हिस्सा है। नं. 9/13 खैरताबाद गाँव का जैसा कि प्रतिवादी 1 और 2 द्वारा दावा किया गया है या क्या यह सी का हिस्सा है। सं. 4 जे

ढूँढना पैरा 50. मूल मुकदमा संख्या 274 में अंक संख्या 1 पर निष्कर्ष

1983 का इस मुद्दे के लिए भी अच्छा है।

क्या वादी मुकदमे की संपत्ति पर अपने अधिकार की घोषणा करने का हकदार है और क्या वे इसके लिए हकदार हैं

स्थायी निषेधाज्ञा या में परिणामी राहत मुक़दमे की संपत्ति के कब्जे के लिए विकल्प?

ढूँढना

पैरा 52। वादी मुकदमे की संपत्ति में अपना अधिकार स्थापित कर सकते हैं और इस तरह वे घोषणा और कब्जे की राहत के हकदार हैं। हालाँकि वे कब्जे में थे मूल रूप से संपत्ति का, विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने धारा 145 Cr.P.C की कार्यवाही शुरू होने के बाद संपत्ति पर कब्जा कर लिया। इसलिए सरकार बाध्य है कि

इस मुकदमे में वादी को कब्जा सौंप दें।

आंध्र प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. वी. बी. रंगा रेड्डी (डी) एलआर और ओआरएस द्वारा। [हेमंत गुप्ता, जे।]

3) किस राहत के लिए?

ढूँढना

पैरा 56। नतीजतन, मुकदमे को लागत के साथ तय किया जाता है, जैसे कि

के लिए प्रार्थना की। वाद संपत्ति का कब्जा वादी को 2 महीने के भीतर देने के लिए सरकार का गठन किया गया है। हालांकि,

यह निष्कर्ष वादियों से (1984 के मूल वाद संख्या 141 में) अतिरिक्त भूमि, यदि कोई हो, का कब्जा लेने के लिए कार्यवाही शुरू करने के लिए शहरी भूमि अधिकतम सीमा प्राधिकरणों के रास्ते में नहीं आएगा। इसी तरह, सरकार भी आवश्यक प्रक्रिया का पालन करके और वादी को पर्याप्त मुआवजा देकर सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए वाद भूमि के किसी भी हिस्से का अधिग्रहण करने के लिए स्वतंत्र है।

3. राज्य ने 1984 के मूल वाद संख्या 141 (तीसरा वाद) में निर्णय और डिक्री से उत्पन्न अपील दायर की। उक्त अपील में, एक आपत्ति उठाई गई थी कि मूल वाद में अंक संख्या 1 पर दर्ज किए गए निष्कर्ष नं. 274 1983 की धारा और 1983 की धारा 276 को डिक्री के रूप में माना जाना चाहिए और यह न्यायिक आदेश के रूप में कार्य करेगा। उच्च न्यायालय ने अपील में ऐसी आपत्तियों पर सुनवाई करते हुए विचार के लिए निम्नलिखित दो बिंदु तैयार किए:

" 1) क्या ओ. एस. सं. में मुद्दा संख्या 1 पर निचली अदालत के निष्कर्ष। 274 और 1983 के 276 को डिक्री के रूप में माना जाना चाहिए और क्या वे सरकार के खिलाफ न्यायपालिका के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि सरकार ने इस आदेश को चुनौती देने वाली कोई अपील दायर नहीं की है।

निष्कर्षों ने कहा?

2) क्या आंध्र प्रदेश सरकार की आवश्यकता नहीं थी

इस आधार पर अपील दायर करना कि कोई प्रवर्तनीय डिक्री नहीं थी इसके खिलाफ चला गया?

4. उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मुद्दों या किसी भी विवादग्रस्त मामले पर निर्णय को आदेश के पढ़ने के मद्देनजर डिक्री माना जाएगा।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का XIV नियम 1। उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि तीसरे मुकदमे में, दो महीने के भीतर वादी को मुकदमे की संपत्ति का कब्जा देने का एक विशिष्ट निर्देश था, लेकिन पहले और दूसरे मुकदमे में सरकार के खिलाफ कोई विशिष्ट निर्देश नहीं है, लेकिन तथ्य यह है कि उन मामलों में विशिष्ट निष्कर्ष दिया गया है कि सरकार यह स्थापित करने में विफल रही है कि मुकदमे की

भूमि भोलकपुर गांव के सर्वेक्षण का हिस्सा है। इस प्रकार, पक्षों के अधिकार और अधिकार की स्पष्ट घोषणा होती है। उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

संक्षेप में 1, 'कोड' [2019] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" वर्तमान मामले में, सरकार के खिलाफ स्पष्ट निष्कर्ष है। जब कोई स्पष्ट निष्कर्ष निकलता है कि सूट भूमि इसका हिस्सा नहीं है

भोलकपुर गाँव के सर्वेक्षण सं. 43 के अनुसार सरकार की ओर से क्रॉस-आपत्ति दर्ज करना अनिवार्य था। सरकार क्या कर सकती है कि वह निचली अदालत के निष्कर्षों का समर्थन कर सकती है। निचली अदालत के निष्कर्ष हैं कि मुकदमा भूमि रसूलपुरा गांव के सर्वेक्षण संख्या 49 और 50 का हिस्सा है। जाहिर है, सरकार इस तरह के निष्कर्ष का समर्थन नहीं कर सकती है, क्योंकि इसका मामला यह है कि सूट भूमि का हिस्सा है

भोलकपुर गाँव का सर्वेक्षण सं. 43।

वादी द्वारा दायर अपीलों में, मुख्य प्रश्न जो विचार के लिए आता है, वह यह है कि क्या मुकदमा संपत्तियां खैरताबाद गांव के सर्वेक्षण संख्या 9/13 का हिस्सा हैं या यह सर्वेक्षण संख्या का हिस्सा है। 49 और रसूलपुरा गाँव के 50। यह प्रश्न कि क्या मुकदमा भूमि, जैसा कि सरकार द्वारा दावा किया गया है, भोलकपुर गाँव के सर्वेक्षण संख्या 43 का हिस्सा है, 1999 के सी. सी. सी. ए. 1 या 1999 के सी. सी. सी. ए. संख्या 9 में की गई अपीलों में विचार के लिए नहीं आता है।

ओ. एस. Nos.274 और 1983 के 276 में वादी। इसलिए, प्रति-आपत्तियाँ दायर किए बिना सरकार निचली अदालत के निष्कर्षों को चुनौती नहीं दे सकती है।

3 (1974) 2 एस. सी. सी. 393 4 (2003) 9 एस. सी. सी. 606

5 (2013) 9 एस. सी. सी. 261

7 (2004) 3 एससीसी 85 8 ए. आई. आर 1991 एस. सी 264

9 (2007) 11 एस. सी. सी. 75 आंध्र प्रदेश और ओ. आर. एस. राज्य। वी. बी. रंगा रेड्डी (डी) एलआर और ओआरएस द्वारा। [हेमंत गुप्ता, जे।]

1976 के केंद्रीय अधिनियम संख्या 104 के अनुसार संहिता के आदेश XLI नियम 22 में केवल एक व्यथित व्यक्ति को परस्पर आपत्तियां दायर करने में सक्षम बनाने के लिए है, लेकिन यह एक व्यथित व्यक्ति के अधिकार को नहीं छीनता है कि वह अपील में वाद को खारिज करने की डिक्री का समर्थन करे। यह तर्क दिया जाता है कि अपील पारित डिक्री के खिलाफ होती है न कि डिक्री पारित करने के कारण देने वाले फैसले के खिलाफ। यह आगे तर्क दिया जाता है कि राज्य के पास है संहिता के आदेश XLI नियम 33 के प्रावधानों के संदर्भ में भी अंक संख्या 1 पर निष्कर्षों को आंदोलन करने का अधिकार, इसलिए अंक संख्या 1 पर दर्ज निष्कर्ष अंतिम नहीं हैं ताकि तीसरे मुकदमे में डिक्री के खिलाफ न्यायिक कार्रवाई की जा सके जो राज्य द्वारा चुनौती का विषय है। यह तर्क दिया जाता है कि राज्य ने पहले भी परस्पर आपत्तियाँ दायर की हैं

हालांकि उच्च न्यायालय के आदेश के बाद अपील की सुनवाई, इस प्रकार, मुद्दा संख्या 1 पर दर्ज निष्कर्षों को अंतिम रूप नहीं मिला है जो न्यायिक आधार के रूप में काम कर सकते हैं। यह तर्क दिया जाता है कि प्रत्यर्थियों के लिए विद्वान वकील द्वारा संदर्भित निर्णय उन मामलों में हैं जहां डिक्री ने अंतिमता प्राप्त की थी। लेकिन प्रत्यर्थियों के लिए विद्वान वकील द्वारा निर्दिष्ट निर्णयों में से कोई भी दीवानी मुकदमे में दर्ज निष्कर्ष से संबंधित नहीं है जिसे खारिज कर दिया गया था और स्वयं वादी द्वारा अपील में चुनौती का विषय है।

6. दूसरी ओर, उत्तरदाताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री दुष्यंत दवे ने तर्क दिया कि एक स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज किया गया है

निचली अदालत द्वारा कि भूमि तीनों मुकदमों में अपीलार्थियों के रुख के अनुसार, भोलकपुर गांव के सर्वेक्षण संख्या 43 के हिस्से में नहीं आती है, इसलिए प्रतिवादियों के लिए पहले और दूसरे मुकदमे में भी अपील के माध्यम से ऐसे निष्कर्षों को लागू करना अनिवार्य था। राज्य के बाद से यदि पहले और दूसरे मुकदमे में दर्ज किए गए निष्कर्षों के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की गई है, तो उसमें दर्ज किए गए निष्कर्ष न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार काम करेंगे और तीसरे मुकदमे से उत्पन्न होने वाली अपील न्यायिक प्रक्रिया द्वारा वर्जित है। उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने बद्री नारायण सिंह बनाम में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया। कामदेव प्रसाद सिंह और अन्र। 1 ओ 10, शिवदान सिंह बनाम। दरियाव कुंवर (श्रीमती) 1 1, लोननकुट्टी बनाम। थॉममैन और Anr.[1]2, प्रीमियर टायर्स लिमिटेड बनाम। केरल राज्य सड़क परिवहन

निगम 1 3 13, हरबंस सिंह और अन्य। वी. संत हरि सिंह और अन्य। 1 4 14, 10 1962 (3) एससीआर 759

11 1966 (3) एससीआर 300

12 1 2 (1976) 3 एस. सी. सी 528 1 3 1993 सप. (2) एस. सी. सी. 146

4 14 (2009) 2 एस. सी. सी. 526 [2019] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अशोक नगर वेलफेयर एसोसिएशन एंड अन्र। वी. आर. के. शर्मा और Ors.[1]5 15, निर्मला बाला घोष बनाम। बलाई चंद घोष 1 6, भानु कुमार जैन

वी. अर्चना कुमार और अन्य 1 7,

7. श्री डेव प्रस्तुत करते हैं कि अपीलार्थियों के विद्वान वकील द्वारा निर्दिष्ट निर्णय वर्तमान के तथ्यों पर लागू नहीं होते हैं।

मामला। उन्होंने तर्क दिया कि न्यायिक आदेश न केवल डिक्री पर लागू होता है, बल्कि यह न्यायालय को किसी भी मुकदमे या मुद्दे पर मुकदमा चलाने से रोकता है जिसमें मामला सीधे और काफी हद तक पूर्व मुकदमे में जारी किया गया है। इस प्रकार, यह तर्क दिया जाता है कि न्यायिक निर्णय का सिद्धांत न केवल अंतिम निर्णय और डिक्री के खिलाफ है, बल्कि मुकदमे में दर्ज किसी भी निष्कर्ष के संबंध में भी है।

8. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जय सावला ने एल. आर. एंड ओ. आर. द्वारा गोविंदम्मल (डी) में इस न्यायालय के एक अन्य फैसले पर भरोसा किया। वी.

वैद्यनाथन और ओआरएस। 18 1 8 यह तर्क देना कि प्रति-न्यायिक याचिका सह-प्रतिवादियों के संबंध में भी लागू होती है।

9. लिखित प्रस्तुतियों में प्रत्यर्थी संख्या 8 श्री गंगई विनयगर मंदिर पर यह तर्क देने के लिए निर्भर करता है कि एकल अपील दायर करने से पूरा विवाद केवल तभी न्यायालय के अधीन हो जाएगा जब मुकदमों को समेकित किया जाए। चूँकि, विचाराधीन तीन मुकदमों को समेकित नहीं किया गया था, इसलिए पहले और दूसरे मुकदमे में अपीलार्थियों द्वारा अपील दायर न करना न्यायनिर्णायक के रूप में कार्य करेगा।

10. अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने एक फोटोकॉपी प्रस्तुत की है

1983 के मूल वाद सं. 274 में डिक्री का जो इस प्रभाव से है कि "वाद होना चाहिए और इसे एतद्द्वारा खारिज कर दिया जाता है"।

11. पक्षकारसभक लेल विद्वान वकीलक तर्कक सराहना करबाक लेल संहितासँ किछु वैधानिक प्रावधान पहिने निकालबाक आवश्यकता अछि।

पक्षों के विद्वान वकील द्वारा निर्दिष्ट निर्णयों पर विचार किया जाता है।

" 2 (9) " "निर्णय" से न्यायाधीश द्वारा दिया गया बयान अभिप्रेत है -

2 (2) “ डिक्री "से किसी निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है जो, जहाँ तक न्यायालय द्वारा इसे निर्णायक रूप से व्यक्त करने के संबंध में है, सभी या किसी के संबंध में पक्षों के अधिकारों को निर्धारित करता है

15 (2002) 1 एस. सी. सी. 749

16 1965 (3) एससीआर 550

17 (2005) 1 एस. सी. सी. 787

18 (2018) 14 स्केल 198 टी. ई. आंध्र प्रदेश और ओ. आर. एस. वी. बी. रंगा रेड्डी (डी) एलआर और ओआरएस द्वारा। [हेमंत गुप्ता, जे।]

मुकदमे में विवाद में मामले और प्रारंभिक या अंतिम हो सकते हैं। यह माना जाएगा कि इसमें धारा 144 के भीतर किसी शिकायत की अस्वीकृति और किसी भी प्रश्न का निर्धारण शामिल है, लेकिन इसमें शामिल नहीं होगा -

((क) कोई निर्णय जिसमें से कोई अपील किसी आदेश की अपील के रूप में होती है, या

(ख) चूक के लिए बर्खास्तगी का कोई आदेश। 96. मूल डिक्री से अपील

(1) बचत करें जहाँ अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है

इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा, ऐसे न्यायालय के निर्णयों से अपील सुनने के लिए प्राधिकृत न्यायालय को मूल अधिकारिता का प्रयोग करने वाले किसी भी न्यायालय द्वारा पारित प्रत्येक डिक्री से अपील की जाएगी।

***

***

आदेश XLI नियम 22। सुनवाई के बाद, प्रतिवादी डिक्री पर आपत्ति कर सकता है जैसे कि उसने एक अलग अपील को प्राथमिकता दी हो

(1) कोई भी प्रत्यर्थी, हालाँकि उसने अपील नहीं की होगी

डिक्री का कोई भी भाग, न केवल डिक्री 1 का समर्थन कर सकता है [बल्कि यह भी बता सकता है कि नीचे दिए गए न्यायालय में उसके खिलाफ निष्कर्ष किसी भी मुद्दे का सम्मान उसके पक्ष में होना चाहिए था और वह उस डिक्री पर कोई भी प्रति-आपत्ति भी ले सकता था जिसे वह अपील के माध्यम से ले सकता था:

बशर्ते कि उसने अपीलीय न्यायालय में इस तरह की आपत्ति दायर की हो

उस पर सेवा की तारीख से एक महीने या अपील की सुनवाई के लिए निर्धारित दिन के नोटिस के उसके प्लीडर पर, या ऐसे आगे के समय के भीतर जिसे अपीलीय न्यायालय अनुमति देना उचित समझे। 1 9 [स्पष्टीकरण। - जिस निर्णय पर उस डिक्री के खिलाफ अपील की गई है, उस निर्णय में न्यायालय के किसी निष्कर्ष से व्यथित कोई प्रतिवादी, इस नियम के तहत, डिक्री के संबंध में जहां तक वह उस निष्कर्ष पर आधारित है, प्रति-आपत्ति दायर कर सकता है, इसके बावजूद कि किसी अन्य निष्कर्ष पर न्यायालय के निर्णय के कारण जो मुकदमे के निर्णय के लिए पर्याप्त है, डिक्री, पूरी तरह से या

भागतः, उस उत्तरदाता के पक्ष में।]

1976 के केंद्रीय अधिनियम संख्या 104 [2019] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आदेश XLI नियम 33। अपील न्यायालय की शक्ति

अपीलीय न्यायालय के पास कोई भी डिक्री पारित करने और कोई भी आदेश देने की शक्ति होगी जिसे पारित या बनाया जाना चाहिए था और ऐसी आगे या अन्य डिक्री या आदेश पारित करने या बनाने की शक्ति होगी जिसकी मामले में आवश्यकता हो, और इस शक्ति का प्रयोग न्यायालय द्वारा किया जा सकता है।

इसके बावजूद कि अपील केवल डिक्री के भाग के बारे में है और इसका उपयोग सभी या किसी भी प्रतिवादी या पक्षकार के पक्ष में किया जा सकता है, हालांकि ऐसे प्रतिवादी या पक्षकारों ने कोई अपील या आपत्ति दायर नहीं की होगी, और जहां क्रॉस-सूट में डिक्री हो चुकी है या जहां एक मुकदमे में दो या दो से अधिक डिक्री पारित की गई है, वहां सभी या किसी भी डिक्री के संबंध में प्रयोग किया जा सकता है, हालांकि

हो सकता है कि इस तरह के आदेशों के खिलाफ अपील दायर नहीं की गई हो: बशर्ते कि अपीलीय न्यायालय किसी भी आपत्ति के अनुसरण में धारा 35 ए के तहत कोई आदेश नहीं देगा, जिस पर उस न्यायालय ने, जिसकी डिक्री से अपील को प्राथमिकता दी गई है, हटा दिया है या अस्वीकार कर दिया है।

ऐसा आदेश देने के लिए।

धारा 11-रेज़ जुडिकाटा

कोई भी न्यायालय ऐसे किसी भी वाद या मुद्दे का परीक्षण नहीं करेगा जिसमें प्रत्यक्ष रूप से और पर्याप्त रूप से जारी किया गया मामला उन्हीं पक्षों के बीच पूर्व वाद में या उन पक्षों के बीच, जिनके तहत वे या उनमें से कोई भी दावा करता है, उसी शीर्षक के तहत मुकदमा करने वाले पक्षकारों के बीच, ऐसे बाद के वाद या उस वाद का परीक्षण करने के लिए सक्षम न्यायालय में, जिसमें ऐसा मुद्दा बाद में उठाया गया है, और प्रत्यक्ष रूप से और पर्याप्त रूप से जारी किया गया है।

ऐसी अदालत द्वारा सुना गया और अंत में निर्णय लिया गया।

स्पष्टीकरण I-"पूर्व वाद" पद एक वाद को दर्शाता है।

जिसे विचाराधीन वाद से पहले तय किया गया है कि क्या यह उससे पहले स्थापित किया गया था या नहीं।

12. उच्च न्यायालय ने इसके संबंध में विभिन्न निर्णयों का उल्लेख किया

इसलिए, अन्य दो मुकदमों में राज्य द्वारा अपील दायर न करना, न्यायिक निर्णय के सिद्धांत की प्रयोज्यता न्यायिक निर्णय के रूप में कार्य करता है। उच्च न्यायालय ने शिवदान सिंह मामले में इस

न्यायालय के एक फैसले का उल्लेख कियाजिसमें, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एक बार वाद में पारित एक डिक्री अंतिमता प्राप्त कर लेती है, तो उसी प्रश्न को दूसरी अपील में निर्णय देकर इसे अप्रत्यक्ष रूप से बाधित नहीं किया जा सकता है। हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष इसके बाद दर्ज किए गए कारणों के लिए स्पष्ट रूप से गलत हैं।

आंध्र प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. वी. बी. रंगा रेड्डी (डी) एलआर और ओआरएस द्वारा। [हेमंत गुप्ता, जे।]

इसलिए, अन्य दो मुकदमों में राज्य द्वारा अपील दायर न करना तीसरे मुकदमे में न्यायनिर्णायक के रूप में कार्य करता है।

13. विद्वत विचारण न्यायालय ने तीनों मुकदमों को जोड़ दिया था और उस सामान्य साक्षय को दर्ज किया गया था, जब उसने निम्नलिखित तथ्य दर्ज किया था:

" उपरोक्त तीनों मुकदमों को जोड़ दिया गया है और एक संयुक्त परीक्षण आयोजित किया गया है। O.S.No.274/83 को प्रमुख मुकदमे के रूप में लिया गया है और उस मुकदमे में दर्ज साक्षय को शेष दो मुकदमों के लिए भी सबूत के रूप में लिया गया है। तीनों सूट के दलों को तीन समूहों में विभाजित किया जा सकता है।

99

14. उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील ने आकर्षित करने की कोशिश की है

मुकदमों के समेकन के आदेश और उस आदेश के बीच अंतर जहां विभिन्न मुकदमों में एक सामान्य निर्णय दिया जाता है। श्री गंगाई में

विनयगर मंदिर, न्यायालय ने चितिवलस पटसन के मामले में निर्णय का उल्लेख किया

मिल्स। हालाँकि, हम पाते हैं कि उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा किया गया भेद कानून में मान्य नहीं है। चिटिविलासा जूट मिल्स एक ऐसा मामला है जिसमें एक मुकदमा मध्य प्रदेश के रेवा में और दूसरा विशाखापत्तनम में दायर किया गया था। अदालत ने देखा कि एक मुकदमे में दावा दूसरे मुकदमे में बचाव है, इसलिए, रेवा में दायर एक बाद के मुकदमे को विशाखापत्तनम में स्थानांतरित करने का आदेश पारित किया गया था।

15. वर्तमान मामले में साक्षय केवल एक में दर्ज किए गए हैं।

सूट क्योंकि तीनों सूट को एक साथ जोड़ा गया है। उक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए, हम पाते हैं कि केवल समेकन शब्द का उपयोग विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है, इसलिए, यह मुकदमों के समेकन का नहीं बल्कि अलग-अलग परीक्षणों का मामला होगा।

16. बनारसी में, संहिता के आदेश एक्स. एल. आई. नियम 22 के प्रावधान जो 1976 में संशोधन से पहले और बाद में मौजूद थे, साथ ही साथ आदेश भी।

संहिता के एक्स. एल. आई. नियम 33 पर विचार किया गया है। उक्त निर्णय एक तथ्य से उत्पन्न होता है जहां एक समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक मुकदमा होता है।

प्रतिवादी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष अपील दायर की गई थी। अपीलार्थियों ने समझौते को रद्द करने के लिए एक मुकदमा भी दायर किया, जो विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमे का आधार था। विद्वत विचारण न्यायालय ने आदेश दिया कि

अपीलार्थियों को रु. 2,40,000/- की राशि जमा करने के लिए लेकिन विशिष्ट निष्पादन के लिए डिक्री नहीं दी गई थी। विद्वत अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा अपीलार्थियों द्वारा पसंद की गई सुनवाई के लिए दो अपीलों को लिया गया था। दोनों अपीलों को खारिज कर दिया गया था, लेकिन बिना किसी क्रॉस आपत्ति या आपत्ति के।

अपील, अदालत ने [2019] 10 एस. सी. आर. द्वारा दायर विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमे का फैसला सुनाया।

वादी। उच्च न्यायालय के समक्ष दूसरी अपील खारिज कर दी गई। यह अभिनिर्धारित किया गया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विशिष्ट निष्पादन के लिए डिक्री पारित करने के लिए संहिता के आदेश XLI नियम 33 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए कानून की कोई त्रुटि नहीं की।

17. इस न्यायालय ने इस प्रश्न की जांच की कि क्या डिक्री के लिए

एक बार निचली अदालत द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद कोई अपील या प्रति-आपत्तियां दायर किए बिना विशिष्ट प्रदर्शन प्रदान किया जा सकता है। न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

" 8. धारा 96 और 100 सी. पी. सी. एक अपील के लिए प्रावधान करती है

क्रमशः अपील में; किसी भी प्रावधान की गणना नहीं की गई है वह व्यक्ति जो अपील दायर कर सकता है। हालांकि, यह एक द्वारा तय किया जाता है

निर्णयों की लंबी सूची जो अपील दायर करने के हकदार हैं

व्यक्ति को डिक्री से व्यथित होना चाहिए। जब तक कोई व्यक्ति नहीं है उस डिक्री से प्रतिकूल या प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है जिसका वह हकदार नहीं है

अपील दायर करने के लिए। (फूलचंद वी. देखें। गोपाल लाल [ए. आई. आर. 1967 एससी.

1470 (1967) 3 एस. सी. आर. 153], जतान कुमार गोलचा बनाम। गोलचा

प्रॉपर्टीज (पी) लिमिटेड [(1970) 3 एस. सी. सी. 573] और गंगा बाई बनाम। विजय कुमार [(1974) 2 एससीसी 393]। केवल निष्कर्ष के खिलाफ कोई अपील नहीं होती है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि दोनों धारा 96 और 100 सी. पी. सी. प्रदान करती हैं। डिक्री के खिलाफ अपील के लिए और निर्णय के खिलाफ नहीं।

9. हो सकता है कि किसी भी प्रत्यर्थी ने अपील दायर नहीं की हो

जिसे चुनौती देकर यह पहले से ही उसके पक्ष में है के खिलाफ विवादित फैसले में दर्ज एक निष्कर्ष

. एक पार्टी जो पूरी तरह से सफल रही है

उसे..

मुक़दमा न तो अपील कर सकता है और न ही उसे करने की आवश्यकता है

और प्रति-आपत्ति-दोनों डिक्री के खिलाफ दायर किए जाते हैं और नहीं निर्णय के खिलाफ और निश्चित रूप से दर्ज किए गए किसी भी निष्कर्ष के खिलाफ नहीं

एक फैसले में। यह कानून के तहत अच्छी तरह से स्थापित स्थिति थी

अपरिवर्तित सी. पी. सी. "।

18. इस न्यायालय में किए गए संशोधनों पर विचार करते हुए

वर्ष 1976 में संहिता ने यह अभिनिर्धारित किया कि संहिता के आदेश एक्स. एल. आई. नियम 22 के संशोधित प्रावधानों के तहत भी, एक पक्ष जिसके पक्ष में डिक्री पूरी तरह से है, वह न तो किसी भी विपरीत आपत्तियों को प्राथमिकता देने का हकदार है और न ही बाध्य है। तथापि, आदेश एक्स. एल. आई. नियम 22 में संशोधन द्वारा

संहिता, निष्कर्ष के खिलाफ क्रॉस आपत्तियां दर्ज करने की अनुमति है।

आंध्र प्रदेश और ओ. आर. एस. का टी. ई. वी. बी. रंगा रेड्डी (डी) एलआर और ओआरएस द्वारा। [हेमंत गुप्ता, जे।]एन. डी. ए. एन.

जिस पर डिक्री उसके पक्ष में है। न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

जिसका आदेश पूरी तरह से पक्ष में है, वह न तो किसी भी प्रति-आपत्ति को प्राथमिकता देने का हकदार है और न ही बाध्य है। हालांकि, प्रविष्टि उप-नियम (1) के पाठ में किसी निष्कर्ष के खिलाफ प्रति-आपत्ति दर्ज करने की अनुमति दी गई है। जो अंतर है

जिसके परिणामस्वरूप हम जल्द ही बता देंगे। एक प्रतिवादी कोई भी प्रति-आपत्ति दर्ज किए बिना अपना बचाव कर सकता है जिस हद तक डिक्री उसके पक्ष में है; हालाँकि, यदि वह डिक्री के किसी भी हिस्से पर हमला करने का प्रस्ताव रखता है तो उसे प्रति-आपत्ति लेनी चाहिए। 1976 के संशोधन द्वारा जोड़ा गया संशोधन स्पष्टीकरणात्मक और सक्षम भी है और प्रावधान का विश्लेषण करके इसे सटीक बनाया जा सकता है। तीन स्थितियाँ हो सकती हैं:

(i) आक्षेपित डिक्री आंशिक रूप से अपीलार्थी के पक्ष में है।

और आंशिक रूप से प्रत्यर्थी के पक्ष में।

((ii) डिक्री पूरी तरह से प्रतिवादी के पक्ष में है।

प्रत्यर्थी के खिलाफ एक मुद्दा तय किया गया है।

(iii) डिक्री पूरी तरह से प्रतिवादी के पक्ष में है और सभी मुद्दों का जवाब भी प्रतिवादी के पक्ष में दिया गया है, लेकिन निर्णय में एक निष्कर्ष है जो इसके खिलाफ जाता है -

उत्तरदाता।

11. मामले के प्रकार में (i) प्रत्यर्थी के लिए डिक्री के उस हिस्से के खिलाफ अपील दायर करना या प्रति-आपत्ति लेना आवश्यक था जो उसके खिलाफ है यदि वह उससे छुटकारा पाना चाहता है, हालांकि डिक्री का वह हिस्सा जो उसके पक्ष में है, वह बिना कोई प्रति-आपत्ति लिए समर्थन करने का हकदार है। संशोधन के बाद भी कानून ऐसा ही बना रहता है। मामलों के प्रकार (ii) और (iii) पूर्व-संशोधन में सी. पी. सी. प्रत्यर्थी को न तो अधिकार देता था और न ही कोई दंड लेने की अनुमति देता था।

आपत्ति की क्योंकि वह डिक्री से व्यथित व्यक्ति नहीं था। संशोधित सी. पी. सी. के तहत, स्पष्टीकरण के आलोक में पढ़ें, हालांकि यह है

फिर भी प्रतिवादी के लिए कोई प्रति-आपत्ति लेना आवश्यक नहीं है।

डिक्री के रूप में उसके प्रतिकूल किसी भी निष्कर्ष को चुनौती देना यह पूरी तरह से उनके पक्ष में है और वह [2019] 10 एस. सी. आर. के बिना डिक्री का समर्थन कर सकते हैं।

क्रॉस-आपत्ति; उप-नियम (1) के पाठ में किया गया संशोधन, जिसे नए जोड़े गए स्पष्टीकरण के साथ पढ़ा जाता है, उसे अपने खिलाफ दर्ज किए गए निष्कर्ष पर क्रॉस-आपत्ति लेने का अधिकार देता है। किसी मुद्दे का जवाब देते समय या किसी मुद्दे से निपटते समय। ऐसी प्रति-आपत्ति को प्राथमिकता देने का लाभ उप-नियम (4) द्वारा स्पष्ट किया गया है। मूल अपील को वापस लेने या खारिज करने के बावजूद

चूक के लिए, प्रत्यर्थी द्वारा किसी भी निष्कर्ष पर ली गई प्रति-आपत्ति अभी भी गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेने के लिए उपलब्ध होगी, जिसका उपाय प्रत्यर्थी के लिए उपलब्ध नहीं था। अपरिवर्तित सी. पी. सी.। संशोधन-पूर्व युग में, मूल अपील की चूक के लिए वापसी या बर्खास्तगी ने प्रतिवादी को दर्ज किए गए किसी भी निष्कर्ष की शुद्धता या अन्यथा पर सवाल उठाने के लिए अक्षम कर दिया।

प्रत्यर्थी के खिलाफ "।

19. वर्तमान एक ऐसा मामला है जहां डिक्री मुकदमे को खारिज करने का है।

इसलिए, पूरी तरह से राज्य के पक्ष में और निष्पादन योग्य नहीं। हालाँकि राज्य के खिलाफ एक मुद्दे का निर्णय इस न्यायालय द्वारा चित्रित दूसरी और तीसरी स्थिति के अंतर्गत आने के रूप में किया गया है। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि प्रति-अपील या प्रति-आपत्तियों के अभाव में, प्रथम अपीलीय न्यायालय के पास उस डिक्री को संशोधित करने का अधिकार क्षेत्र नहीं था जो विशिष्ट प्रदर्शन के लिए डिक्री प्रदान करने के लिए है जो निचली अदालत द्वारा नहीं दी गई थी।

20. न्यायालय ने इस तर्क में कोई योग्यता नहीं पाई कि अपीलीय न्यायालय डिक्री देने के लिए शक्तिहीन नहीं था क्योंकि इस तरह की डिक्री संहिता के आदेश XLI नियम 33 के संदर्भ में दी गई है। न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

" 15. ..... अपील की अनुमति देते समय या अन्यथा उसके विरुद्ध अपील की गई डिक्री या आदेश में हस्तक्षेप करते हुए, अपीलीय न्यायालय ऐसी आगे या अन्य डिक्री या आदेश पारित कर सकता है या कर सकता है, जैसा कि मामले में करने की आवश्यकता होगी, अपीलीय न्यायालय द्वारा प्राप्त निष्कर्षों के अनुरूप। उद्देश्य को प्राप्त करने की मांग की गई

अपीलीय न्यायालय को ऐसी शक्ति प्रदान करने से बचना है असंगति, असमानता, समान रूप से दी गई राहतों में असमानता

रखे गए पक्ष और अप्रभावी डिक्री या आदेश में आ रहा है

अस्तित्व। न्याय के उद्देश्यों को प्राप्त करना सर्वोपरि विचार है। शक्ति का विस्तार करें, शक्ति का प्रयोग करते समय सावधानी और देखभाल की आवश्यकता अधिक हो। आम तौर पर नियम

33 के तहत शक्ति का प्रयोग तब किया जाता है जब डिक्री के हिस्से के खिलाफ अपील की जाती है या डिक्री के हिस्से को आंध्र प्रदेश और ओआरएस राज्य द्वारा अलग करने या हस्तक्षेप करने के लिए उत्तरदायी माना जाता है।

वी. बी. रंगा रेड्डी (डी) एलआर और ओआरएस द्वारा। [हेमंत गुप्ता, जे।]

तीन सीमाएँ: पहला, शक्ति का प्रयोग किसी ऐसे व्यक्ति के पूर्वाग्रह या नुकसान के लिए नहीं किया जा सकता है जो अदालत के समक्ष पक्षकार नहीं है; दूसरा, दिए गए या खोए हुए दावे को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है; और तीसरा, डिक्री का ऐसा हिस्सा जो अनिवार्य रूप से होना चाहिए था किसी पक्ष द्वारा इसके विरुद्ध अपील या आपत्ति की गई और जिसे उस पक्ष ने अंतिमता प्राप्त करने की अनुमति दी है, उसे ऐसे पक्ष के लाभ के लिए वापस नहीं किया जा सकता है। एक मामला जहां दो राहतों के लिए प्रार्थना की जाती है और एक को अस्वीकार कर दिया जाता है जबकि दूसरा दिया जाता है और पहला अविभाज्य रूप से जुड़ा हुआ नहीं है या जरूरी नहीं है

दूसरे के आधार पर, उत्तरार्द्ध के खिलाफ अपील में, आदेश 41 के नियम 33 के तहत शक्ति का प्रयोग करने वाले अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रतिवादी के पक्ष में पूर्व राहत नहीं दी जा सकती है।

21. न्यायालय के इस तरह के दृष्टिकोण का एक फैसले में पालन किया गया है

हरदेवेंद्र सिंह। उक्त निर्णय वाद भूमि के कब्जे के लिए दायर एक मुकदमे से उत्पन्न होता है, जिसमें प्रतिवादियों के पक्ष में निष्पादित की जाने वाली वसीयत को चुनौती दी गई है। संयुक्त कब्जा के लिए मुकदमे का फैसला यह कहते हुए किया गया था कि वसीयत संदिग्ध परिस्थितियों से घिरी हुई है और सूट भूमि संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति थी। एक अपील में, प्रथम अपीलीय न्यायालय ने एक निष्कर्ष दर्ज किया कि मृतक शिव सिंह की संपत्ति स्व-अर्जित थी और वसीयत प्रतिवादी संख्या के पक्ष में थी। 1 4 को वैध रूप से निष्पादित किया गया था। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इस कारण से मुकदमा खारिज कर दिया कि पक्षों के बीच समझौता हो गया है। प्रतिवादी संख्या 5, वादी का भाई, जिसका वादी के समान हित था, ने उक्त निर्णय और प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित डिक्री के खिलाफ दूसरी अपील दायर की, जिसे विचारणीय नहीं होने के कारण खारिज कर दिया गया। इन परिस्थितियों में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एक व्यक्ति को अपील बनाए रखने का अधिकार है यदि ऐसा व्यक्ति किसी डिक्री से पूर्वाग्रहपूर्ण या प्रतिकूल रूप से प्रभावित है। यह अभिनिर्धारित किया गया कि प्रतिवादी

सं. 5, वादी के भाई को निचली अदालत द्वारा दी गई डिक्री से लाभ हुआ लेकिन वादी ने प्रतिवादी सं. 5 के साथ विवाद को सुलझा लिया है। 1 4 में, प्रतिवादी संख्या 5 के अधिकारों को अनिश्चित कर दिया गया था और उसके पक्ष में अर्जित लाभ विलुप्त हो गया था, इसलिए, उसे कानूनी चोट लगी थी जिसे दूसरी अपील में चुनौती दी जा सकती थी। उक्त निष्कर्ष के साथ, [2019] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उच्च न्यायालय को दरकिनार कर दिया गया और मामले को हटा दिया गया

उच्च न्यायालय नए सिरे से फैसला करेगा। इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

" 21. 1976 के आदेश 41 नियम 22 के संशोधन के बाद, सम्मिलन

उप-नियम (1) में किया गया एक प्रति-आपत्ति दायर करने की अनुमति देता है।

एक खोज के खिलाफ। अंतर मूल रूप से यह है कि एक उत्तरदाता

क्रॉस-आपत्ति दर्ज करने का सहारा लिए बिना अपना बचाव कर सकते हैं जिस हद तक डिक्री उसके पक्ष में है, लेकिन अगर वह चाहता है

डिक्री के किसी भी हिस्से पर हमला करना, उसकी ओर से फाइल करना अनिवार्य है क्रॉस-आपत्ति। बनारसी वी। राम फाल [(2003) 9 एससीसी 606: एयर

अपीलार्थी के पक्ष में और आंशिक रूप से प्रतिवादी के पक्ष में। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए, पीठ ने कहा कि ऐसी स्थिति में

उसी से छुटकारा पाएं हालांकि वह उस हिस्से का समर्थन करने का हकदार है डिक्री जो बिना कोई प्रति-आपत्ति लिए उसके पक्ष में हो।

दो अन्य श्रेणियों के संबंध में जो पूरी तरह से एक डिक्री से संबंधित हैं

प्रत्यर्थी के पक्ष में हालांकि एक मुद्दा तय किया गया था

उसके खिलाफ या पूरी तरह से प्रतिवादी के पक्ष में एक डिक्री जहां सभी मुद्दों का जवाब उनके पक्ष में दिया गया था लेकिन एक निष्कर्ष है

उस निर्णय में जो उसके खिलाफ जाता है, पूर्व-संशोधन में

मंच पर, वह कोई क्रॉस-आपत्ति नहीं ले सकता था क्योंकि वह एक व्यक्ति नहीं था आदेश से व्यथित। लेकिन संशोधन के बाद, प्रकाश में पढ़ें

उप-नियम (1) के लिए स्पष्टीकरण, हालांकि यह अभी भी नहीं है

प्रत्यर्थी के लिए कोई भी प्रति-आपत्ति लेना आवश्यक है डिक्री के रूप में उसके प्रतिकूल किसी भी निष्कर्ष को चुनौती देना

यह पूरी तरह से उसके पक्ष में है, फिर भी वह इसके बिना डिक्री का समर्थन कर सकता है। क्रॉस-आपत्ति। यह उसे क्रॉस-आपत्ति लेने का अधिकार देता है।

उत्तर देते समय या तो उसके खिलाफ दर्ज किए गए निष्कर्ष के लिए

समस्या या किसी समस्या से निपटने के दौरान। यह ध्यान देने योग्य है कि इसके बाद

संहिता में संशोधन, यदि अपील वापस ले ली जाती है या

डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज कर दिया गया, क्रॉस-आपत्ति द्वारा एक निष्कर्ष पर लिया गया

उत्तरदाता को अभी भी गुण-दोष के आधार पर निर्णय दिया जाएगा कि कौन सा उपाय है

अपरिवर्तित संहिता के तहत प्रतिवादी के लिए उपलब्ध नहीं था।

(जोर दिया गया)

आंध्र प्रदेश के टी. ई. और ओ. आर. एस. वी. बी. रंगा रेड्डी (डी) एलआर और ओआरएस द्वारा। [हेमंत गुप्ता, जे।]

22. श्री गंगई विनयगर मंदिर के फैसले पर भरोसा किया जाता है।

दलों को। अपीलार्थियों के लिए सीखा हुआ वकील पैरा पर निर्भर करता है

जबकि आदेश, प्रत्यर्थियों के लिए वकील पैरा 27 पर निर्भर करता है

ई ऑर्डर करें। दोनों पैराग्राफ नीचे लिखे अनुसार हैं:

विभिन्न उच्च न्यायालयों में दूसरों के खिलाफ अपील की गई लेकिन उनके खिलाफ नहीं अलग-अलग और परस्पर विरोधी राय और निर्णय दिए हैं।

उन मामलों के विवरण पर ध्यान दिए बिना, यह पर्याप्त है।

यह ध्यान देने के लिए कि की प्रयोज्यता के लिए हिचकिचाहट या अनिच्छा

न्यायपालिका की कठोरता इस धारणा से उत्पन्न हुई कि न्यायपालिका की धारा 11

संहिता केवल "सूट" को संदर्भित करती है और इस तरह इसमें शामिल नहीं है " अपील "इसके दायरे में; कि जब से निर्णय में आए

जुड़े हुए सूट एक साथ व्यक्त किए गए थे, वहाँ हो सकता है

मुद्दों और खोज में सामान्य या काफी हद तक समान होना संबंधित मुकदमों की एक साथ सुनवाई की गई, एक के खिलाफ अपील दायर नहीं की गई

या उन मुकदमों में से अधिक के विचार को बाधित नहीं करना चाहिए

गुण-दोष पर अन्य अपीलें; और यह कि न्यायनिर्णयक सिद्धांत

निर्णय पर लागू होगा, जो सामान्य है, न कि

उस सामान्य निर्णय के आधार पर बनाए गए आदेश।

XXX

XXX

XXX

27. प्रक्रियात्मक मानदंड, तकनीकी और प्रक्रियात्मक कानून विकसित होते हैं।

वर्षों के अनुभवजन्य अनुभव के बाद, और उन्हें अनदेखा करना या देना

उनकी छोटी कमी अनिवार्य रूप से न्याय को हरा देती है। जहाँ एक आम

निर्णय उन मामलों में दिया गया है जिनमें समेकन आदेश दिए गए हैं

विशेष रूप से पारित किया गया है, हमें लगता है कि यह अप्रतिरोध्य है कि फाइलिंग

एकल अपील के कारण पूरा विवाद न्यायालय के अधीन हो जाता है।

एक बार फिर। समेकन आदेश के आधार पर पारित किया जाता है

सी. पी. सी. की धारा 151 द्वारा न्यायालयों को अंतर्निहित शक्तियों का प्रदान करना,

जैसा कि इस न्यायालय ने चिटिविलासा जूट मिल्स बनाम जेपी रीवा मामले में स्पष्ट किया है। सीमेंट (2004) 3 एससीसी 85। सूट के उदाहरण में जिसमें आम

मुद्दों को तैयार किया गया है और एक सामान्य परीक्षण आयोजित किया गया है,

हारने वाले पक्ष को सभी प्रतिकूल फरमानों के संबंध में अपील दायर करनी चाहिए

यह आंशिक रूप से प्रतिकूल या विपरीत बोलने वाले निर्णयों पर भी आधारित है।

9] 10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जबकि ऐसा मानते हुए हम इस सिद्धांत को कम करने का इरादा नहीं रखते हैं कि हर असुविधाजनक के खिलाफ अपील दायर किए जाने की उम्मीद नहीं है।

या असहमत या अनुचित या प्रतिकूल निष्कर्ष या

एक निर्णय में निहित अवलोकन, लेकिन यदि अवसर उत्पन्न होता है तो यह क्रॉस-आपत्तियों के माध्यम से किया जा सकता है। उस पर हमला नहीं किया गया डिक्री एक "पूर्व सूट" के चरित्र में रूपांतरित हो जाती है। यदि इसे इस तरह से नहीं देखा जाना है, तो केवल सूट बी में डिक्री को चुनौती देकर सूट ए में पारित डिक्री को शून्य करना संभव होगा। लॉ इसे एक पक्ष को प्राप्त करने की अनुमति देने के लिए एक अभिशाप मानता है। अप्रत्यक्ष रूप से एक परिणाम जब वह जानबूझकर या लापरवाही से इस उद्देश्य के लिए सीधे कार्यवाही शुरू करने में विफल रहा हो। के कानून

प्रक्रिया को चित्रमय रूप से नौकरानियों के रूप में संदर्भित किया गया है

न्याय के लिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें अनावश्यक रूप से नजरअंदाज किया जा सकता है क्योंकि, यदि ऐसा किया जाता है, तो न्याय का गर्भपात अनिवार्य रूप से और निर्विवाद रूप से होता है। सांविधिक कानून और प्रक्रियात्मक कानून न्यायिक प्रक्रिया के दो पहलू हैं, जिनमें से प्रत्येक दूसरे के विपरीत है। हाथ में मामले में, यदि किरायेदार ने कम से कम 1978 के ओएस नंबर 5 के संबंध में डिक्री के खिलाफ लगन से अपील दायर की थी, तो कानूनी पहेली जो खुद को प्रकट कर चुकी है और बहुत कुछ समाप्त कर चुकी है।

न्यायिक समय, बिल्कुल भी नहीं आया होगा। "

23. यह देखा जा सकता है कि मुकदमों को समेकित किए जाने के बावजूद प्रत्येक मुकदमे में अलग-अलग डिक्री को प्राथमिकता देने की आवश्यकता होती है। श्री गंगई विनयगर मंदिर में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट रूप से फैसला सुनाया है कि जहाँ उन मामलों में एक सामान्य निर्णय दिया गया है जिनमें समेकन आदेश पारित किए गए हैं, वहाँ अपील दायर करने से पूरा विवाद फिर से न्यायालय के अधीन हो जाता है। उपरोक्त निर्णय इस तथ्य से उत्पन्न होता है कि क्या किरायेदार ने 1 जनवरी, 1983 को समाप्त होने वाली पट्टा अवधि के दौरान अपने कब्जे की रक्षा के लिए एक मुकदमा दायर किया है, जिसमें सार्वजनिक न्यास के न्यासियों द्वारा अलगाव को विशेष रूप से चुनौती नहीं देते हुए निषेधाज्ञा का दावा किया गया है। न्यासियों ने किराए के बकाया का दावा करने के लिए दो अलग-अलग मुकदमे दायर किए हैं, एक रुपये का दावा करने के लिए। 268 /

और दूसरे के लिए रु। 2600 / .

24. किरायेदार का सूट और रुपये की वसूली के लिए सूट। 2600 / बर्खास्त कर दिए गए। किरायेदार द्वारा इसके खिलाफ केवल एक अपील की गई थी।

रुपये की वसूली के लिए मुकदमे में आदेश पारित किया गया। 268 / - . इन परिस्थितियों में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि चूंकि अपने मुकदमे में किरायेदार का दावा काफी हद तक आंध्र प्रदेश और ओ. आर. एस. राज्य को अलग करने के न्यासियों के अधिकार के संबंध में था।

वी. बी. रंगा रेड्डी (डी) एलआर और ओआरएस द्वारा। [हेमंत गुप्ता, जे।]

न्यास की संपत्ति, जैसा कि किरायेदार द्वारा आरोप लगाया गया है, जिसमें मुद्दा है

अन्य मुकदमों के साथ-साथ, इसलिए, वादी द्वारा दायर निषेधाज्ञा के लिए मुकदमे में डिक्री न्यायिक आदेश के रूप में काम करेगी। लेकिन वर्तमान मामले में, पहले और दूसरे मुकदमे में एक अपील लंबित है जिसमें अपीलार्थी को आदेश XLI नियम 22 और 33 के संदर्भ में डिक्री का समर्थन करने का अधिकार है।

कोड।

25. उत्तरदाताओं के लिए सीखा हुआ परामर्श दृढ़ता से एक पर निर्भर करता है

बद्री नारायण सिंह के मामले में इस अदालत के संविधान पीठ के फैसले में कहा गया है कि एक अपील में दर्ज निष्कर्ष न्यायिक प्रक्रिया के खिलाफ काम करते हैं। दूसरी अपील में। इस तरह के तर्क की सराहना करने के लिए, उक्त निर्णय की ओर ले जाने वाले कुछ तथ्यों का उल्लेख करने की आवश्यकता है। अपीलार्थी के चुनाव को इस आधार पर चुनाव न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती दी गई थी कि

अपीलार्थी लाभ का पद धारण कर रहा था और इसलिए, यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 7 के प्रावधानों के खिलाफ है। आरोप था कि अपीलार्थी ने भी भ्रष्ट आचरण किया था। दूसरी ओर, प्रत्यर्थी ने इस घोषणा के लिए प्रार्थना करते हुए एक याचिका दायर की कि अपीलार्थी का चुनाव अमान्य था और यह भी घोषणा की कि वह अपीलार्थी-निर्वाचित उम्मीदवार के बाद अधिक वोट पाकर विधिवत निर्वाचित हुआ था। चुनाव न्यायाधिकरण ने पाया कि अपीलार्थी लाभ के पद का धारक नहीं था, लेकिन यह अभिनिर्धारित किया कि वह भ्रष्ट प्रथाओं का दोषी है। द.

अपीलार्थी के चुनाव को दरकिनार कर दिया गया था लेकिन यह घोषणा नहीं की गई थी कि प्रत्यर्थी विधिवत निर्वाचित उम्मीदवार था। अपीलार्थी ने 1958 की चुनाव अपील सं. 7 दायर की, जबकि प्रत्यर्थी ने चुनाव के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में 1958 की चुनाव अपील सं. 8 दायर की।

न्यायाधिकरण। अपीलार्थी द्वारा दायर अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि वह लाभ का पद धारण कर रहा था, लेकिन वह भ्रष्ट आचरण में शामिल नहीं था, जबकि प्रतिवादी द्वारा दायर अपील को एक सामान्य निर्णय द्वारा अनुमति दी गई थी जिसमें प्रतिवादी को विधिवत निर्वाचित घोषित किया गया था। अपीलार्थी ने इस न्यायालय के समक्ष केवल 1958 की अपील सं. 8 के आदेश के विरुद्ध अपील दायर की। अपील के सभी आधार 1958 की अपील संख्या 7 में उच्च न्यायालय के निष्कर्ष से संबंधित हैं। इस न्यायालय के समक्ष अपील में, एक प्रारंभिक आपत्ति ली गई थी कि 1958 की अपील संख्या 7 में उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपीलार्थी द्वारा कोई अपील नहीं की गई थी। अदालत ने नरहरी में पहले के फैसले को अलग किया। इसने अभिनिर्धारित किया कि हालांकि अपील सं। 7 और 1958 का 8 एक कार्यवाही से उत्पन्न हुआ लेकिन प्रत्येक अपील की विषय वस्तु अलग थी, इसलिए, अंतिम निर्णय न्यायिक प्रक्रिया के रूप में कार्य करेगा। प्रासंगिक निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

" 14. यह सच है कि दोनों अपील संख्या। 7 और 8 उच्च से पहले
चुनाव न्यायाधिकरण के समक्ष एक कार्यवाही से न्यायालय का उदय हुआ।
हालाँकि, प्रत्येक अपील का विषय-वस्तु अलग था। द.
विषय-संबंधित अपीलार्थी द्वारा दायर अपील सं. 7 का मामला
उनके चुनाव के खराब या अच्छे होने का सवाल, को देखते हुए
चुनाव न्यायाधिकरण के समक्ष दलीलें उठाई गईं। इससे कोई लेना-देना नहीं था।
उत्तरदाता 1 के अधिकार के प्रश्न के साथ विधिवत घोषित किया जाना है
निर्वाचित उम्मीदवार। उसकी पकड़ के बारे में निष्कर्ष
लाभ के पद ने दोनों अपीलों के उद्देश्य को पूरा किया, लेकिन
केवल इसी कारण से प्रत्येक मामले में उच्च न्यायालय का निर्णय
अपील को एक निर्णय नहीं कहा जा सकता है। उच्च न्यायालय ने
दो निर्णय लिए। इस संबंध में एक निर्णय आया कि
उम्मीदवार, एक निर्णय जिसे इस निर्णय का पालन करना था कि अपीलार्थी का चुनाव अमान्य था और यह निष्कर्ष भी कि
उत्तरदाता 2, घाटवाल के रूप में, ठीक से नामित नहीं था
उम्मीदवार। इसलिए हमारी राय है कि जब तक आदेश में
अपीलार्थी की अपील संख्या 7 उसके आदेश को रद्द करने की पुष्टि करती है।
इस आधार पर चुनाव कि वह लाभ के पद का धारक था
बिहार सरकार के तहत और इसलिए एक नहीं हो सकता था
ठीक से नामित उम्मीदवार खड़ा है, वह सवाल नहीं कर सकता
उनके लाभ का पद धारण करने के बारे में पता लगाना, वर्तमान में
अपील, जो इस तर्क पर आधारित है कि वह निष्कर्ष

गलत है "।

(जोर दिया गया)

26. उक्त निर्णय वर्तमान के तथ्यों पर लागू नहीं होता है।

मामला क्योंकि 1983 के दीवानी वाद संख्या 274 या 1983 के 276 में डिक्री ने अंतिमता प्राप्त नहीं की है और वे अभी भी प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील के विषय हैं जिसमें, निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को मुकदमे को खारिज करने की अंतिम डिक्री को बनाए रखते हुए दरकिनार किया जा सकता है। बद्री नारायण सिंह में, एक अपील में निर्णय अंतिम हो गया, जिसमें अपीलार्थी को विधिवत निर्वाचित उम्मीदवार नहीं माना गया। 1958 की अपील संख्या 8 इस घोषणा के संबंध में थी कि प्रत्यर्थी को निर्वाचित उम्मीदवार माना जाएगा। इसलिए, निर्णयों की अंतिमता के अभाव में,

तीसरे मुकदमे में इस तरह के निष्कर्ष के बाध्यकारी होने का कोई सवाल नहीं हो सकता है।

आंध्र प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. वी. बी. रंगा रेड्डी (डी) एलआर और ओआरएस द्वारा। [हेमंत गुप्ता, जे।]

27. नरहरी एक तिहाई हिस्से के कब्जे के मुकदमे से उत्पन्न होता है।

प्रतिवादियों के 2 समूहों से भूमि। मुकदमा आंशिक रूप से तय किया गया था। द.

ट्रायल कोर्ट ने मुकदमे का फैसला सुनाया; हालाँकि, दो अपीलों को प्राथमिकता दी गई

अभियुक्तों के दो समूह। दोनों अपीलों की अनुमति दी गई और मुकदमा था

बर्खास्त कर दिया। वादी ने समेकित अदालत में दायर करने के बाद एक अपील दायर की

पूरे मुकदमे के लिए शुल्क और सभी प्रतिवादियों को प्रतिवादी के रूप में शामिल करके।

यह तर्क दिया गया कि वादी ने केवल एक अपील दायर की है,

इसलिए, अन्य अपील में दर्ज किए गए निष्कर्ष काम करेंगे

वादी द्वारा पसंद की गई दूसरी अपील में न्यायिक स्थिति। अदालत ने कहा कि

निम्नानुसार:

" 5. ..... रेस जुडिकाटा का सवाल तभी उठता है जब

दो सूट। यहां तक कि जब दो सूट होते हैं, तब भी यह माना गया है कि ए

एक साथ दिया गया निर्णय पूर्व में निर्णय नहीं हो सकता है।

एक ही मामले में और एक ही फैसले के आधार पर, और मामले का फैसला किया गया यह पूरे सूट से संबंधित है। इस तरह, कोई सवाल नहीं है

रेस जुडिकाटा के सिद्धांत का अनुप्रयोग। वही फैसला

सिर्फ इसलिए प्रभावी नहीं रह सकता क्योंकि इसके खिलाफ कार्रवाई की गई थी।

एक अलग संख्या के साथ या इसकी एक प्रति एक अलग संख्या के साथ संलग्न की गई थी

अपील करें। उप-मुद्रा में दो फरमान एक हैं। इसके अलावा, उच्च न्यायालय अपीलार्थियों को लाभ नहीं देने में गलत था

सीमा अधिनियम की धारा 5 का क्योंकि संघर्ष था

इस प्रश्न के संबंध में निर्णय न केवल उच्च न्यायालय में

राज्य लेकिन भारत के विभिन्न उच्च न्यायालयों के बीच भी।

28. गंगा बाई पूर्व कार्यवाही से उत्पन्न होने वाला निर्णय है।

संहिता के आदेश XLI नियम 22 में संशोधन करना। उच्च न्यायालय ने कहा कि

कि प्रतिवादी सं. द्वारा दायर पहली अपील। 2 और 3 रखरखाव योग्य नहीं था

भले ही उनके खिलाफ मुकदमा पूरी तरह से खारिज कर दिया गया था। अदालत ने कहा कि

अपील का अधिकार कानून का एक सृजन है और यह अंतर्निहित नहीं है

सही है। यह निम्नानुसार आयोजित किया गया था:

" 17. इन प्रावधानों से पता चलता है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत,

एक अपील केवल एक डिक्री के खिलाफ या एक आदेश के खिलाफ होती है उन नियमों के तहत पारित किया गया जिनसे अपील की स्पष्ट रूप से अनुमति है

आदेश 43 नियम 1. केवल एक निष्कर्ष के खिलाफ कोई अपील नहीं हो सकती है

सरल कारण यह है कि संहिता ऐसी किसी भी अपील के लिए प्रावधान नहीं करती है।

यह प्रतिवादी [2019] 10 एस. सी. आर. द्वारा दायर 1959 की पहली अपील संख्या 72 का अनुसरण करना चाहिए।

2 और 3 बनाए रखने योग्य नहीं था क्योंकि यह केवल एक के खिलाफ निर्देशित किया गया था

विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष।

X X

XX

XX

बनाए रखने योग्य "। 29. रमेश चंदर में, न्यायालय ने माना कि परीक्षणों में से एक

यह पता लगाना कि क्या कोई निष्कर्ष न्यायिक आधार पर काम करता है, यह है कि पीड़ित पक्ष अपील के माध्यम से इसे चुनौती दे सकता है। न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

अपील या अपीलीय डिक्री प्रतिवादियों के खिलाफ नहीं थी। 2 और 3 वे अपील के माध्यम से इसे चुनौती नहीं दे सके। यहाँ तक कि अनुमान भी लगाएँ

कि प्रतिवादी 1 इस निष्कर्ष को चुनौती दे सकता है कि किराया का दायित्व प्रतिवादी 2 और 3 के थे क्योंकि वे कब्जे में थे, उन्होंने नहीं किया

किसी भी विवाद को उठाते हुए निचली अदालत में कोई भी लिखित बयान दाखिल करें स्वयं और प्रतिवादी 2 और 3 के बीच। इसलिए ऐसा नहीं था।

अपीलीय न्यायालय के लिए अवलोकन करने का अवसर जब

न तो दलील थी और न ही सबूत... '99

30. एस. नजीर अहमद के रूप में रिपोर्ट किए गए एक अन्य फैसले में, यह है

अभिनिर्धारित किया गया कि अपीलार्थी संहिता के आदेश XLI नियम 22 के संदर्भ में परस्पर आपत्तियों का ज्ञापन दायर किए बिना, निचली अदालत के निष्कर्ष को चुनौती दे सकता है। अपील में प्रत्यर्थी किसी भी मामले को चुनौती देकर भी निचली अदालत की डिक्री का समर्थन करने का हकदार है।

निष्कर्ष जो ट्रायल कोर्ट द्वारा अपने खिलाफ प्रस्तुत किए गए हो सकते हैं। निचली अदालत द्वारा पारित डिक्री का समर्थन करने के लिए, अपील में एक प्रतिवादी के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह एक विशेष निष्कर्ष को चुनौती देने के लिए प्रति-आपत्तियों का ज्ञापन दायर करे जो निचली अदालत द्वारा

उसके खिलाफ दिया जाता है जब अंतिम डिक्री उसके पक्ष में होती है। न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

" 7. उच्च न्यायालय, हमारे विचार में, स्पष्ट रूप से निर्णय लेने में त्रुटि में था

कि अपीलार्थी ने क्रॉस का ज्ञापन दाखिल नहीं किया है

संहिता के आदेश 41 नियम 22 के संदर्भ में आपत्तियाँ, नहीं कर सके

निचली अदालत के इस निष्कर्ष को चुनौती दें कि मुकदमा वर्जित नहीं था

संहिता के आदेश 2 नियम 2 के अनुसार। एक अपील में प्रतिवादी है

आंध्र प्रदेश और ओ. आर. एस. राज्य को चुनौती देकर भी निचली अदालत की डिक्री का समर्थन करने का हकदार है।

वी. बी. रंगा रेड्डी (डी) एलआर और ओआरएस द्वारा। [हेमंत गुप्ता, जे।]

ऐसा कोई भी निष्कर्ष जो विचारण न्यायालय द्वारा अपने विरुद्ध प्रस्तुत किया गया हो। निचली अदालत द्वारा पारित डिक्री का समर्थन करने के लिए, अपील में एक प्रतिवादी के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह एक विशेष निष्कर्ष को चुनौती देने के लिए क्रॉस-आपत्तियों का ज्ञापन दायर करे जो निचली अदालत द्वारा उसके खिलाफ प्रस्तुत किया जाता है जब अंतिम डिक्री स्वयं उसके पक्ष में होती है। प्रति-आपत्तियों के ज्ञापन की आवश्यकता केवल तभी होती है जब प्रत्यर्थी किसी भी राहत का दावा करता है जिसे निचली अदालत द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था और इसके अलावा जो उसे चुनौती के तहत डिक्री द्वारा पहले ही दिया जा चुका है। इसलिए हमें अपीलार्थी के विद्वान वकील की इस दलील को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि उच्च न्यायालय इस आधार पर कार्यवाही करने में त्रुटि कर रहा था कि अपीलार्थी ने प्रति-आपत्तियों का ज्ञापन दायर नहीं किया था, वह आदेश 2 नियम 2 के बार में दिए गए निष्कर्ष की शुद्धता को स्पष्ट करने का हकदार नहीं था।

न्यायालय द्वारा "।

31. श्री डेव ने जोरदार तर्क दिया कि संहिता की धारा 11 के संदर्भ में न्यायिक निर्णय एक डिक्री के बारे में नहीं है, बल्कि पूर्व मुकदमे में एक निष्कर्ष के बारे में है। यह तर्क दिया जाता है कि पहला मुकदमा और दूसरा मुकदमा पूर्व मुकदमे हैं जिनमें निष्कर्ष राज्य के खिलाफ लिखे गए थे, इसलिए, ऐसे निष्कर्ष न्यायिक आधार पर काम करेंगे। उक्त तर्क इस आधार पर आगे बढ़ता है कि न्यायालय का अर्थ उच्च न्यायालय होगा और इसलिए, पहले और दूसरे मुकदमे में निष्कर्ष आने से बाद की कार्यवाही पर रोक लग जाएगी।

अपील में तीसरे वाद से उद्भूत। हम पाते हैं कि इस तरह का तर्क उचित नहीं है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि पहले और दूसरे मुकदमे को खारिज करने की डिक्री को अंतिम रूप नहीं दिया गया है जो चुनौती के अधीन है।

वादियों और प्रतिवादियों द्वारा-राज्य, परस्पर आपत्तियाँ दायर किए बिना या संहिता के आदेश XLI नियम 33 के संदर्भ में भी मुद्दा संख्या 1 पर विवाद निष्कर्षों का हकदार है कि विद्वत विचारण न्यायालय के साथ जो वजन किया गया है, उसके अलावा अन्य आधारों पर मुकदमे को खारिज करने की डिक्री। सभी मुद्दे प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष विचार के लिए खुले हैं।

32. संहिता की धारा 11 और स्पष्टीकरण I उन्हीं पक्षों के बीच या दोनों पक्षों के बीच बाद की कार्यवाही में लागू होगी।

पक्षकार जिनके अधीन वे या उनमें से कोई भी एक ही शीर्षक के तहत दावा करता है। लेकिन पहले और दूसरे मुकदमे के निष्कर्ष न्यायिक आधार पर काम नहीं करेंगे क्योंकि इस तरह के निष्कर्ष वादी द्वारा अपने-अपने मुकदमों में दायर अपीलों में चुनौती का विषय हैं। तीनों मुकदमों का एक साथ फैसला किया गया है और ऐसे फैसले के खिलाफ लंबित तीन अपीलें और

फरमान। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि पहला और दूसरा मुकदमा [2019] 10 एस. सी. आर.

पूर्व वाद हैं क्योंकि उनमें पारित डिक्री को अंतिम रूप नहीं मिला है। अतः उसमें अभिलिखित निष्कर्ष न्यायिक आधार पर कार्य नहीं करेंगे क्योंकि राज्य संहिता के आदेश XLI नियम 22 के संशोधन के बाद भी पहले और दूसरे मुकदमे में मुद्दा संख्या 1 पर निष्कर्षों को चुनौती देने के लिए बाध्य नहीं है।

33. लोननकुट्टी में इस न्यायालय ने इसकी प्रयोज्यता की जांच की है

एक मामले में धारा 11 के सिद्धांत जिसमें दो मुकदमे दायर किए गए थे। 1954 का दीवानी मुकदमा सं. 666 अपीलार्थी द्वारा निषेधाज्ञा के लिए दायर किया गया था।

सर्वेक्षण सं. 673 से पानी लेना और सर्वेक्षण सं. 673 के माध्यम से पानी वापस छोड़ना और बांध को ध्वस्त करने और जलद्वारों को बंद करने के लिए एक अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए। प्रतिवादियों ने दायर किया अपीलार्थी को उनके द्वारा निर्मित बांध पर अतिक्रमण करने से रोकने और अपीलार्थी को सर्वेक्षण संख्या 673 से पानी लेने और उस भूमि के माध्यम से पानी वापस छोड़ने के उनके अधिकार में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए 1957 का दीवानी मुकदमा संख्या 5। दूसरा बाद का सूट था। अपीलार्थी के मुकदमे का फैसला सुनाया गया। हालाँकि, प्रत्यर्थियों के मुकदमे को खारिज कर दिया गया था, लेकिन कृषि उपयोग के संबंध में दावा किए गए अधिकार की सीमा तक फैसला सुनाया गया था। दो मुकदमों में पारित फरमानों का परिणाम यह था कि प्रतिवादी अपीलार्थी की भूमि से पानी ले सकते थे और केवल कृषि उद्देश्यों के लिए निर्वहन कर सकते थे, न कि मछली पकड़ने के लिए। दोनों ने दो मुकदमों से उत्पन्न दो अपीलें दायर कीं। हालांकि, सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। प्रत्यर्थियों द्वारा दायर किए गए दूसरे मुकदमे से उत्पन्न कोई अपील दायर नहीं की गई। इन परिस्थितियों में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि प्रत्यर्थियों द्वारा दायर वाद, हालाँकि वादी के वाद के बाद, पूर्व वाद माना जाएगा क्योंकि उक्त वाद में डिक्री ने अंतिमता प्राप्त कर ली है। न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

" 19. उत्तरदाताओं ने डिक्री के खिलाफ आगे कोई अपील दायर नहीं की

जिला न्यायालय द्वारा उनके वाद से उत्पन्न अपीलों में पारित किया गया।

उन्होंने उच्च न्यायालय में दूसरी अपील दायर की, केवल इसके खिलाफ 1958 के ए. एस. सं. 66 में जिला न्यायालय द्वारा पारित डिक्री जो

अपीलार्थी के मामले में निचली अदालत द्वारा पारित डिक्री से उत्पन्न हुआ सूट। इस प्रकार, जिला न्यायालय का निर्णय अपील में दिया गया

उत्तरदाताओं के मुकदमे से उत्पन्न होने वाला मुकदमा अंतिम और निर्णायक बन गया। उस फैसले के खिलाफ अपील नहीं की जा सकी

दूसरी अपील में फिर से खोला गया। अपीलार्थी के मुक़दमे से बाहर।

XX

X

X

आंध्र प्रदेश और ओ. आर. एस. का XX टी. ई. वी. बी. रंगा रेड्डी (डी) एलआर और ओआरएस द्वारा। [हेमंत गुप्ता, जे।]

21. 8 जुलाई, 1964 के अपने रिमांड निर्णय में, जिसके द्वारा न्यायिक याचिका को खारिज कर दिया गया था, उच्च न्यायालय ने मुख्य रूप से नरहरि बनाम मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया। शंकर [ए. आई. आर. 1953 एस. सी. 419 1950 एस. सी. आर. 754;] यह निर्णय हमारी राय में है।

विशिष्ट क्योंकि उस मामले में केवल एक मुकदमा दायर किया गया था जिससे 2 अपीलें हुईं। ए ने बी और सी के खिलाफ मुकदमा दायर किया जिसका फैसला सुनाया गया। बी और सी ने अलग-अलग अपीलों को प्राथमिकता दी जिन्हें ए द्वारा अनुमति दी गई थी

सामान्य निर्णय, लेकिन अपीलीय न्यायालय ने 2 अलग-अलग निर्णय लिए फरमान। केवल एक फरमान के खिलाफ एक अपील को प्राथमिकता दी गई और सीमा की अवधि समाप्त होने के बाद, उन्होंने एक अपील को प्राथमिकता दी।

अपर्याप्त न्यायालय शुल्क पर अन्य डिक्री के विरुद्ध। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि ए को 2 अलग-अलग अपील दायर करनी चाहिए थी और चूंकि अपीलों में से एक पर समय की पाबंदी थी, इसलिए समय के भीतर दायर अपील को अदालत द्वारा रोक दिया गया था। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि "रेस जुडिकाटा के सिद्धांत को लागू करने का कोई सवाल ही नहीं है", क्योंकि "जब केवल एक ही मुकदमा होता है, तो रेस जुडिकाटा का सवाल ही पैदा नहीं होता है"। यह इस आधार पर रखा गया था कि "जहां एक मुकदमा, एक निष्कर्ष और एक निर्णय हुआ है, वहां दो अपीलों की आवश्यकता नहीं है, भले ही दो फरमान तैयार किए गए हों"। हमारे मामले में, 2 मुकदमे थे और चूंकि एक मुकदमे में अपीलीय डिक्री अंतिम हो गई थी, इसलिए उसमें तय किए गए मुद्दों को दूसरे मुकदमे से उत्पन्न अपील में पारित डिक्री के खिलाफ दायर दूसरी अपील में फिर से नहीं खोला जा सका। ठीक यही वह आधार है जिसके आधार पर इस न्यायालय द्वारा नरहरि मामले को अलग किया गया था।

शिवदान सिंह बनाम। श्रीमती दरियाव कुंवर [ए. आई. आर. 1966 एस. सी. 1332: (1966) 3 एससीआर 300]। इसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जहां निचली अदालत ने गुण-दोष पर समान मुद्दों वाले 2 मुकदमों का फैसला किया है और वहां से दो अपीलें हैं, एक अपील में निर्णय दूसरी अपील में न्यायनिर्णायक के रूप में कार्य करेगा।

34. अशोक नगर आर एसोसिएशन के फैसले पर श्री दवे की निर्भरता वर्तमान मामले के लिए प्रासंगिक नहीं है।

विशेष अनुमति याचिका में हस्तक्षेप की गुंजाइश थी। यह एक मामला था कि क्या अदालत द्वारा दो मुकदमों में दी गई एकतरफा डिक्री को अपील में दरकिनार कर दिया गया था। इस तरह के आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दायर की गई थी। इस न्यायालय ने एकतरफा फैसले को दरकिनार करने में हस्तक्षेप नहीं किया है। भानु कुमार जैन भी एक त्रिरस्तरीय डिक्री दिए जाने की स्थिति में एक प्रतिवादी के लिए उपलब्ध उपायों का वर्णन कर रहे हैं। उक्त निर्णय लागू नहीं होता है

वर्तमान मामले में।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

35. श्री दवे द्वारा निर्दिष्ट एक अन्य निर्णय निर्मला बाला ई है। उक्त मामले में, देवता के खिलाफ आदेश अंतिम रूप से समाप्त हो गया था। यह अभिनिर्धारित किया गया कि ई. सी. आर. को चुनौती देना किसी अन्य प्रतिवादी के लिए खुला नहीं है क्योंकि यह देवताओं के खिलाफ है। न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

" 23. इस अपील में दोनों देवताओं को भी पक्षकार के रूप में शामिल किया गया है

न्यायालय और उच्च न्यायालय जहाँ तक यह देवताओं की उपाधि से संबंधित है। हालाँकि, यह आग्रह किया गया कि निर्मला ने अपने लिए जो दावा किया है, उसके अलावा, न्यायालय के पास शक्ति है और वास्तव में आदेश 41 नियम 33 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत एक आदेश पारित करने के लिए बाध्य है। डिक्री, यदि विलेख के प्रासंगिक प्रावधानों पर विचार करने पर, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि विलेख एक के रूप में कार्य करता है

दोनों देवताओं के पक्ष में पूर्ण समर्पण। आदेश 41 नियम

313 , जहाँ तक यह सामग्री है, प्रदान करता है:

" अपीलीय न्यायालय के पास कोई भी डिक्री पारित करने और कोई भी आदेश देने की शक्ति होगी जिसे पारित या बनाया जाना चाहिए था और ऐसी आगे या अन्य डिक्री या आदेश पारित करने या बनाने की शक्ति होगी जिसकी मामले में आवश्यकता हो, और इस शक्ति का उपयोग इसके बावजूद कि अदालत अपील केवल डिक्री के हिस्से के रूप में है और सभी या किसी भी प्रतिवादी या पक्षकार के पक्ष में प्रयोग किया जा सकता है, हालांकि ऐसे प्रतिवादी या पक्षकार। हो सकता है कि उसने कोई अपील या आपत्ति दायर न की हो: "

नियम को निस्संदेह उन शब्दों में व्यक्त किया जाता है जो व्यापक हैं, लेकिन इसे विवेक के साथ लागू किया जाना चाहिए, और उन मामलों में जहां अपीलार्थी के पक्ष में हस्तक्षेप एक डिक्री के साथ भी हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है जो स्वीकृति या सहमति से अंतिम हो जाता है। ताकि न्यायालय पक्षों के अधिकारों को समायोजित कर सके। जहाँ एक अपील में न्यायालय एक ऐसे निष्कर्ष पर पहुँचता है जो आंध्र प्रदेश और ओ. आर. एस. के असंगत राज्य है।

वी. बी. रंगा रेड्डी (डी) एलआर और ओआरएस द्वारा। [हेमंत गुप्ता, जे।]

नियम 33 को उचित रूप से लागू किया जा सकता है। लेकिन नियम ऐसा नहीं है। उन फरमानों को फिर से खोलने का अप्रतिबंधित अधिकार प्रदान करें जो केवल इसलिए अंतिम हो गए हैं क्योंकि अपीलीय न्यायालय अपील किए गए न्यायालय की राय से सहमत नहीं है।

36. हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय किसी मुद्दे पर डिक्री और निष्कर्ष के बीच अंतर करने में विफल रहा है। यह इसके खिलाफ आदेश है जिसकी अपील संहिता की धारा 96 के संदर्भ में होती है। संहिता की धारा 2 (2) के संदर्भ में डिक्री का अर्थ है पक्षों के अधिकारों का निर्णायक रूप से निर्धारण करने वाले निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति। प्रतिवादी-राज्य एक डिक्री के खिलाफ अपील दायर नहीं कर सकता था जो एक सूट सिम्प्लिसिटर को खारिज करने का था। राज्य के विरुद्ध निर्गम संख्या 1 पर निष्कर्षों को संहिता के आदेश संख्या एक्स. एल. आई. नियम 22 के संशोधित प्रावधानों के संदर्भ में प्रति-आपत्तियों के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है, लेकिन इस तरह की प्रति-आपत्तियां दायर करना निर्गम संख्या 1 पर दर्ज निष्कर्षों पर विवाद करने के लिए आवश्यक नहीं है क्योंकि -

प्रतिवादियों को मुकदमे को खारिज करने के लिए निचली अदालत द्वारा पारित अंतिम डिक्री का समर्थन करने का अधिकार है, इसके अलावा अन्य आधारों पर जो विद्वत निचली अदालत के साथ वजन करते हैं। यहां तक कि संहिता के आदेश XLI नियम 33 के संदर्भ में, अपीलीय न्यायालय के पास कोई भी आदेश पारित करने का अधिकार क्षेत्र है जो उसके समक्ष कार्यवाही में पारित या किया जाना चाहिए था।

37. अभिलेख पर तथ्यों के अनुसार, मूल सूट संख्या। 274 1983 और 1983 के 276 को खारिज कर दिया गया है। वादी प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष दोनों मुकदमों में अपील कर रहे हैं। इसलिए, अंक संख्या 1 पर निष्कर्ष सहित ऐसी डिक्री को अंतिम रूप नहीं मिला है क्योंकि अपीलीय न्यायालय अंक संख्या 1 पर तथ्य के निष्कर्षों सहित पूरे विवाद से अवगत है। प्रतिवादियों को संहिता के आदेश एक्सएलआई नियम 22 के तहत क्रॉस-आपत्तियां दायर करके इस तरह के निष्कर्षों पर विवाद करने का अधिकार है, जैसा कि इसमें संशोधन किया गया है। वर्ष 1976 या यहां तक कि संहिता के आदेश XLI नियम 33 के तहत अपीलीय न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए।

38. डिक्री मुकदमे को खारिज करने की है, जबकि, इस तरह की डिक्री पारित करने का कारण निर्णय है जैसा कि धारा 2 (9) में परिभाषित किया गया है। कोड। स्पष्टीकरण I के साथ पठित धारा 11 के संदर्भ में, पूर्व वाद में मुद्दा केवल तभी न्यायिक आधार के रूप में काम करेगा जब ऐसा मुद्दा बाद के वाद में उठाया जाता है। चूँकि स्वामित्व का मुद्दा अंतिम रूप नहीं ले पाया है, इसलिए यह कोई पूर्व मुकदमा नहीं है जिस पर धारा 11 का कोई अनुप्रयोग हो सकता है।

39. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम वर्तमान अपीलों की अनुमति देते हैं, उन्हें दरकिनार कर देते हैं

ए.

राज्य द्वारा दायर पहली अपील में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश, अंक संख्या पर निष्कर्ष के रूप में। 1 और पहले और दूसरे मुकदमे में 2 रेस जुडिकाटा के रूप में काम नहीं करते हैं। लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाएगा।

40. अपीलों में आदेशों को ध्यान में रखते हुए, अवमानना याचिका (सिविल)

बी.

2014 की सं. 204 का निपटारा कर दिया गया है।

दिव्या पांडे